इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



## मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 120]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 21 अप्रैल 2025—वैशाख 1, शक 1947

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2025

क्रमांक CT/8/0006/2025-Sec-1-05(CT)(20) : राज्य सरकार, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 को और संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

- 1. यह अधिसूचना 27 मार्च , 2025 से प्रवृत मानी जाएगी ।
- 2. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 में-
  - (क) नियम 164 में-
  - (i) उपनियम (4) में, "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर की पूर्ण रकम" शब्दों के स्थान पर "उक्त उपधारा के अधीन अधिसूचित तारीख को या इससे पूर्व केवल उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध से संबंधित कर की पूर्ण रकम और उक्त सूचना या कथन या आदेश में माँग किए गए कर" शब्द रखे जाएंगे।

(ii) उपनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण- उन मामलों में जहां अधिनियम की धारा 128क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अवधि से भिन्न किसी अन्य अवधि के लिए कर की मांग शामिल है, ऐसे किसी भी कर, ब्याज और शास्ति के लिए कोई प्रतिदाय उपलब्ध नहीं होगा, जिसका इस अधिसूचना के प्रारंभ होने से पूर्व संपूर्ण अवधि के लिए पहले ही उन्मोचन कर दिया गया है।

(ख) नियम 164 के उपनियम 7 में, पहले परंतुक के पश्चात् निम्निलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"परन्तु यह और कि जहाँ धारा 128 क की उपधारा (1) में उल्लिखित कोई सूचना या विवरण या आदेश में, जिसमें आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध के लिए और आंशिक रूप से उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध से भिन्न अन्य अविध के लिए कर की मांग भी शामिल है, आवेदक अपील वापस लेने के बजाय अपील प्राधिकारी या अपील न्यायाधिकरण को सूचित करेगा कि वह उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध के लिए अपील को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है और संबंधित प्राधिकारी उक्त अनुरोध पर ध्यान देने के पश्चात उक्त उपधारा में उल्लिखित अविध से भिन्न अन्य अविध के लिए ऐसा आदेश पारित करेगा जिसे वह उचित और न्यायसंगत समझे।

स्पष्टीकरण- शंका को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि अपील आवेदन धारा 128 क के उप-खंड (3) के प्रयोजनार्थ 1 जुलाई, 2017 से 31 मार्च, 2020 या उसके भाग की अविध के लिए उक्त सूचना के विस्तार तक वापस लिया हुआ समझा जाएगा।"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.

## भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2025

क्र. CT-8-0006-2025-Sec-1-पांच (CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-8-0006-2025-Sec-1-पांच (CT) (20), 21 अप्रैल 2025 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना शर्मा, उपसचिव.

## Bhopal, the 21st April 2025

F.No.CT/8/0006/2025-Sec-1-05(CT)(20): In exercise of the powers conferred by section 164 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:—

- 1. This notification shall be deemed to have come into effect from the 27th day of March, 2025.
- 2. In the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017,—(a) in rule 164, —
- (i) in sub-rule (4), after the words "after payment of the full amount of tax", the words "related to period mentioned in the said sub-section and" shall be inserted.
- (ii) after sub-rule (4), the following Explanation shall be inserted, namely: "Explanation, No refund shall be available for any tax, interest and penalty, which has already been discharged for the entire period, prior to the commencement of this notification, in cases where a notice or statement or order mentioned in sub-section (1) of section 128A, includes a demand of tax, partially for the period mentioned in the said sub-section and partially for a period other than mentioned in the said sub-section."
- (b) in rule 164, in sub-rule 7, after the first proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided further that where the notice or statement or order mentioned in sub-section(1) of section 128A of the Act includes demand of tax, partially for the period mentioned in the said subsection and partially for the period other than that mentioned in the said sub-section, the applicant instead of withdrawing the appeal, shall intimate the appellate authority or Appellate Tribunal that he does not wish to pursue the appeal for the period mentioned in the said sub-section and the relevant authority shall, after taking note of the said request, pass such order for the period other than that mentioned in the said sub-section, as he thinks just and proper.

Explanation,— For the removal of doubt, it is clarified that the appeal application shall be deemed to have been withdrawn to the extent of the said intimation for the period from the 1st July, 2017 to the 31st March, 2020 or part thereof, for the purpose of sub-clause (3) of section 128A."

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, VANDANA SHARMA, Dy. Secy.